इण्टर कालेज बबेरू (बांदा)

इन्टरमीडिएट परीक्षा, १९७७

तथा माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद — दिनांक ५.८.७७

संस्थागत/व्यक्तिगत परीक्षार्थी- वेदनेश [illegible] सिंह ------------------ अनुक्रमांक २४७४२६०

द्वारा परिषद की इन्टरमीडिएट परीक्षा, १९७७ में विभिन्न विषयों में प्राप्त किये गये अंकों का विवरण :

वर्ग- - - ७७ - - - - - - - - - - - - - -

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९
१-सामान्य हि०	१००	३३	४८	२३	६३													६३
२-भौ. वि.	१००	३६	२८		६०	४२												६२
३-रसा० वि०	१००	४२	४२		२५	३१												६६
४-गणित	४००	१८	१६	२४	५६													५६
५-अंग्रेजी	१००	३३	३३	२०	५२													५२

परीक्षाफल (उत्तीर्ण / अनुत्तीर्ण)	[illegible]	[illegible]	यदि सम्मान सहित उत्तीर्ण है तो सम्मान विषय	पूरक परीक्षा का अधिकारी है तो विषय	का अधिकारी है
अनुत्तीर्ण	—	—	—	—	—

नोट—अंकपत्र के आधार पर परीक्षाफल का निर्णय ठीक हुआ है अथवा नहीं, इसकी जाँच परीक्षार्थी लिखित नियमों के आधार पर स्वयं भी कर लें और यदि कोई त्रुटि हो तो प्रधानाचार्य केन्द्र-व्यवस्थापक से तुरन्त सम्पर्क स्थापित करके उसका निराकरण करा लें अन्यथा भूल-सुधार में विलम्ब हो सकता है, जो परीक्षार्थी के लिये अहितकर होगा। परिषद कार्यालय में जाँच के फलस्वरूप यदि त्रुटि पाई जायगी तो उसकी सूचना तुरन्त ही प्रधानाचार्य/केन्द्र व्यवस्थापक को दी जायगी और वे सम्बन्धित परीक्षार्थी को इसकी सूचना देंगे।

परीक्षाफल सम्बन्धी नियम

१—प्रत्येक विषय के न्यूनतम उत्तीर्णांक ३३ प्रतिशत है। जिन विषयों में क्रियात्मक परीक्षा होती है, उनमें लिखित तथा क्रियात्मक परीक्षा के लिये अलग-अलग न्यूनतम उत्तीर्णांक निर्धारित है।

२—उत्तीर्ण होने के लिये निर्धारित न्यूनतम अंक से कम अंक नहीं होने चाहिए। निर्धारित न्यूनतम उत्तीर्णांक से कम होने पर प्राप्तांक कृत के भीतर लिये जाते है।

३—किसी विषय में ७५ प्रतिशत अंक पाने पर विशेष योग्यता मिलती है, सम्पूर्ण योग का ७५ प्रतिशत प्राप्तांक होने पर सम्मान सहित उत्तीर्ण घोषित होता है।

४—प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी [illegible] ६०, ४५ एवं ३३ प्रतिशत होना चाहिये।

५—यदि कोई परीक्षार्थी सम्पूर्ण परीक्षा में सम्मिलित हुआ है तथा वह केवल एक विषय में अनुत्तीर्ण है तो वह उस विषय में पूरक परीक्षा का अधिकारी होगा।

६—पूरक परीक्षा के योग्य घोषित होने वाले सभी परीक्षार्थी स्वतः परिनिरीक्षण के अधिकारी नहीं होंगे। केवल वे परीक्षार्थी जो केवल एक विषय में २० प्रतिशत अथवा उससे अधिक अंक प्राप्त करने पर भी अनुत्तीर्ण घोषित किये गये है वे पूरक परीक्षा के अधिकारी घोषित होने के साथ ही साथ स्वतः परिनिरीक्षण के अधिकारी होंगे। इनकी उत्तर-पुस्तकों का अंकानुसंधान निःशुल्क होगा।

बनाने वाले के हस्ताक्षर— [signature]

जाँचकर्ता के हस्ताक्षर— [signature]

(कृ० प० उ०)

[signature]
प्रधानाचार्य
इण्टर कालेज, बबेरू
(बांदा)